कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक /13/ S.W. / F-33 / 2024 देवास, दिनांक–02.02.2024

//कार्य विभाजन संशोधन आदेश//

1. इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारी **श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, देवास** के न्यायालय से सिविल एवं आपराधिक प्रकरण प्रत्याहरित कर अन्य न्यायालयों को अंतरित किये गये है। उक्त न्यायालय में **केवल विद्युत अधिनियम** संबंधी प्रकरणों को ही विचारण हेतु लंबित रखा गया है।

2. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास के सेवानिवृत्ति के कारण उक्त न्यायालय के रिक्त होने से इस कार्यालय द्वारा जारी संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 32/एस.डब्ल्यू./2023, दिनांक 14.06.2023 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

3. कार्य विभाजन आदेश क्रं. 01/एस.डब्ल्यू./2023, दिनांक 19.01.2023 अनुसार, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को आवंटित सिविल कार्य इस न्यायिक स्थापना पर कार्यरत **श्री यशपाल सिंह, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को आगामी आदेश तक के लिए** निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :–

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
1.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री यशपाल सिंह)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **1,00,00,000/–(एक करोड़) से अधिक हों, किन्तु 3,00,00,000/–(तीन करोड़)** रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, कोतवाली, नाहर दरवाजा, बरोठा, टोंकखुर्द एवं तहसील टोंकखुर्द के जिन थानों का उल्लेख नहीं है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले तथा उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत होने वाले **एकल मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा (SINGEL DEATH CLAIM) को छोडकर** शेष समस्त दावें, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रोबेट प्रकरण। 4. भू–अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत प्रकरण। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण

			निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11 (6) के अतिरिक्त। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 8. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 9. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।

4. कार्य विभाजन आदेश क्रं. 01/एस.डब्ल्यू./2023, दिनांक 19.01.2023 अनुसार, इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को आवंटित सिविल एवं आपराधिक कार्य वर्तमान में उक्त न्यायालय में न्यायाधीश की पदस्थापना होने से निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :–

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षैत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
1.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री शिव कुमार कौशल)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **3,00,00,000/–(तीन करोड़) से अधिक हों, किन्तु 10,00,00,000/– (दस करोड़) तक** हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना बीएनपी, औद्योगिक क्षेत्र एवं विजयागंज मंडी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले तथा उक्त थाना क्षेत्रों

			के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत होने वाले **एकल मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा (SINGEL DEATH CLAIM) को छोडकर** शेष समस्त दावें, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/— (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. जिला मुख्यालय देवास पर पूर्व में कार्यरत रहे अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश प्राप्त होने पर उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण, आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 9. मुख्यालय देवास पर अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के रिक्त होने पर उनके द्वारा पारित निर्णय/आज्ञप्ति एवं अधिनिर्णयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां आदि प्राप्त कर उनका विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	11. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण व दंड प्रकिया संहिता

			1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

5. माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, इस न्यायिक स्थापना के जिला मुख्यालय, देवास पर कार्यरत वरिष्ठ खण्ड, व्यवहार न्यायाधीशगण की पदोन्नति के फलस्वरूप, उनकी पदस्थापना क्रमशः तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर की गई है। उक्त न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्यों का प्रभार निम्नानुसार रहेगा :–

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम	प्रभार में रहने वाले **प्रथम** न्यायिक अधिकारी का नाम	प्रभार में रहने वाले प्रथम न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में **द्वितीय** अधिकारी के समक्ष प्रभार	प्रभार में रहने वाले द्वितीय न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में **तृतीय** अधिकारी के समक्ष प्रभार
1.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
2.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
3.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(मधुसूदन मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/511/S.W./F-33/2024 देवास,दिनांक 02.02.2024

प्रतिलिपि–

01– विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस. टी.एक्ट)देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

03– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्या0 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास

04– प्रथम/द्वितीय/सप्तम/षष्ठम व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास

05– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड देवास के न्या. के प्रथम अति. न्या. देवास

06– प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, देवास

07– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08– केंद्रीय पंजीयन अनुभाग देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ,

09– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10– जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

(मधुसूदन मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)